तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	अजमेर में प्रस्तुत की गई वहाँ से अपील दिनांक 29.8.22 को निर्णित हुई तथा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी चित्तौड़गढ़ के आदेश निर्णय दिनांक 30.12.21 को बहाल यथावत रखा गया है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 आ.दी. को स्वीकार किया जावे। अप्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में कथन किया गया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 आ.दी. का 8 वर्ष बाद पेश किया गया है जो न्यायालय में चलने योग्य नहीं है। वाद पत्र के निर्णय एवं डिक्री की जानकारी प्रार्थी को थी फिर भी प्रार्थी ने जानबूझकर प्रार्थना पत्र काफी विलम्ब से प्रस्तुत कर डिक्री की कार्यवाही को बेवजह रोकना चाहते हैं जो न्यायसंगत नहीं है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 आ.दी. को खारीज किया जावे। इस सम्बन्ध में वकील प्रार्थी ने व वकील विपक्षी न्यायिक दृष्टान्त भी प्रस्तुत किये गये है। अत: उपरोक्त विवेचना के अनुसार सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 - आदेश 9 नियम 13 आ.दी. परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 एक पक्षीय डिक्री को अपास्त करने का प्रार्थना पत्र निर्धारित समयसीमा में प्रस्तुत नहीं कर 8 वर्षों के बाद पेश किया गया है जबकि प्रार्थी स्वयं को जानकारी है प्रार्थी स्वयं लापरवाह रहा है विलम्ब माफ करने का पर्याप्त ठोस कारण नहीं होना प्रकट होता है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 आ.दी. को खारीज किया जाना न्यायसंगत है। अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 आ.दी. का अस्वीकार कर खारीज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली ... नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी डूंगला

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2024.10.01 12:18:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner